

दिनांक .....	नाम .....	“सामान्य ज्ञान” का एक प्रश्न—पत्र होगा।
पद .....		इस प्रश्न—पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध), 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुरक्षापति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तर्रिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न—पत्र सम्मिलित हैं।
संस्था का नाम .....		इन प्रश्न—पत्रों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।
मुहर .....		
नोट: यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।		
<b>प्रारूप—4</b>		
(भास्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)		
डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र		
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... में स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेंट में .....स्थान प्राप्त किया गया।		
यह प्रमाण—पत्र डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।		
स्थान .....	हस्ताक्षर .....	
दिनांक .....	नाम .....	
	पद .....	
	संस्था का नाम .....	
	मुहर .....	
नोट: यह प्रमाण—पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।		
<b>परिशिष्ट—4</b>		
<b>परीक्षा की योजना</b>		
प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमः तीन चरण होंगे यथा: (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) एवं (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।		
<b>परिशिष्ट—5</b>		
<b>उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</b>		
प्रश्न पत्र—प्रथम	समय: 2 घंटे	अंक—150
	सामान्य ज्ञान	
इस प्रश्न—पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध), 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुरक्षापति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तर्रिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न—पत्र सम्मिलित हैं।		
इन प्रश्न—पत्रों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।		
प्रश्न पत्र—द्वितीय	समय: 2 घंटे	अंक—300
	<b>विधि</b>	
इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।		
(i) विधि सास्त्र	(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	
(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण	(iv) भारतीय संविधान	
(v) सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियम	(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम	
(vii) भारतीय दंड संहिता	(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता	
(ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता	(x) संविदा विधि	
<b>उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम</b>		
प्रश्न पत्र संख्या—1 सामान्य ज्ञान		अंक—200
		सचिव
<b>“सामान्य ज्ञान” का एक प्रश्न—पत्र होगा।</b>		
<b>प्रश्न पत्र संख्या—2 अंग्रेजी भाषा :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से 03 (तीन) प्रश्न समाविष्ट होंगे।		
(1) निबन्ध	— 50 अंक	
(2) सारांश लेखन	— 30 अंक	
(3) हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद	— 20 अंक	
<b>प्रश्न पत्र संख्या—3 हिन्दी भाषा :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से 03 (तीन) प्रश्न समाविष्ट होंगे।		
(1) निबन्ध	— 50 अंक	
(2) सारांश लेखन	— 30 अंक	
(3) अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद	— 20 अंक	
<b>प्रश्न पत्र संख्या—4 विधि—1 (गौलिक विधि) :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे।		
संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुवाद का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।		
50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।		
<b>प्रश्न पत्र संख्या—5 विधि—2 (प्रक्रिया एवं साक्षण्य) :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे।		
साक्षण्य विधि, दण्ड प्रक्रिया—संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता। दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपीं और वाद—विन्दुओं की विचाना, गवाहों के साक्षयों के साथ व्यवहार की विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।		
<b>प्रश्न पत्र संख्या—6 विधि—3 (दण्ड, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) :-</b>		
यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रश्न समुच्चय निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे।		
भारतीय दण्ड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम, 2021, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश		
पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चक्रवर्दी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973 और साथ ही साथ पूर्णकर्त अधिनियमों के अधीन बनायी गयी नियमावलियों।		
स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दण्ड विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 150 अंक के होंगे।		
<b>6. साक्षात्कार:-</b>		
<b>साक्षात्कार 100 अंकों का होगा</b>		
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठद वर सम्यक, ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।		
स्पष्टीकरण—अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।		
टिप्पणी—(1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।		
(2) किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार आयोग को है जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हैं, जो उसके द्वारा ऐसे इन्कार को न्यायोनित ठहरायें।		